



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1638|

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2013/आषाढ़ 20, 1935

No. 1638|

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2013/ASADHA 20, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2013

का.आ. 2134(अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994(1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, मुख्य मंत्री, दिल्ली के परामर्श से श्री आई. ए. सिद्दिकी और श्री सुका राम को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् का सदस्य मनोनीत करती है तथा इस उद्देश्य के लिए, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से गृह मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 18 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 101(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 4 के उप-पैरा (घ) में निम्नलिखित मद संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

- “(iii) श्री आई. ए. सिद्दिकी,
जी-199, दिलशाद कॉलोनी,
दिल्ली-110095
- (iv) श्री सुका राम,
जी-48, वाल्मिकी सदन,
मंदिर मार्ग, नई दिल्ली”

[फा. सं. 14011/48/2010-दिल्ली-II]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना दिनांक 18 जनवरी, 2011 की संख्या का.आ. 101(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी तथा बाद में दिनांक 24 जून, 2011 की सं. का.आ. 1453(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011 की सं. का.आ. 1628(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2012 की सं. का.आ. 835(अ) तथा दिनांक 3 अगस्त, 2012 की सं. का.आ. 1737(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2013

S.O. 2134(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government in consultation with the Chief Minister of Delhi hereby nominates Shri I.A. Siddiqui and Shri Suka Ram as members of the New Delhi Municipal Council, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 101(E), dated the 18th January, 2011 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the said notification, in sub-paragraph (d) of Paragraph 4, the following item numbers and entries shall be incorporated :

- “(iii) Shri I.A. Siddiqui,
G-199, Dilshad Colony,
Delhi-110095
- (iv) Shri Suka Ram,
G-48, Valmiki Sadan,
Mandir Marg, New Delhi ”

[F. No. 14011/48/2010-Delhi-II]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 101(E), dated the 18th January, 2011 and subsequently amended vide No. S.O. 1453(E), dated the 24th June, 2011, S.O. 1628(E), dated the 14th July, 2011, S.O. 835(E), dated the 17th April, 2012 and S.O. 1737(E), dated 3rd August, 2012.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1637]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2013/आषाढ 20, 1935

No. 1637]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2013/ASADHA 20, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2013

का.आ. 2133(अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994(1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री धर्मेन्द्र, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा सुश्री नीला मोहनन, मुख्य मंत्री, दिल्ली की अपर सचिव को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् का सदस्य मनोनीत करती है तथा इस उद्देश्य के लिए, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 3 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1737(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 2 में मद संख्या (iii) और (v) एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- “(iii) श्री धर्मेन्द्र,
संयुक्त सचिव,
शहरी विकास मंत्रालय,
भारत सरकार
- (v) सुश्री नीला मोहनन,
मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
की अपर सचिव

[फा. सं. 14011/48/2010-दिल्ली-II]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना दिनांक 18 जनवरी, 2011 की संख्या का.आ. 101(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी तथा बाद में दिनांक 24 जून, 2011 की सं. का.आ. 1453(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011 की सं. का.आ. 1628(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2012 की सं. का.आ. 835(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2012 की सं. का.आ. 1737(अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2013

S.O. 2133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri Dharmendra, Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India and Ms. Nila Mohanan, Additional Secretary to Chief Minister of Delhi as members of the New Delhi Municipal Council, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 1737(E), dated the 3rd August, 2012 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for items numbers (iii) and (v) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted namely:-

- “(iii) Shri Dharmendra
Joint Secretary,
Ministry of Urban Development
Government of India
- (v) Ms. Nila Mohanan,
Addl. Secretary to Chief Minister,
Govt. of NCT of Delhi”

[F. No. 14011/48/2010-Delhi-II]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 101(E), dated the 18th January, 2011 and subsequently amended vide S.O. 1453(E), dated the 24th June, 2011, number S.O. 1628(E), dated the 14th July, 2011, S.O. 835(E), dated the 17th April, 2012 and S.O. 1737(E), dated 3rd August, 2012.